prior to 1-1-1969 has been raised. A case in the Division Bench of the Andhra Pradesh High Court is pending on this issue. However, for work beyond 48 hours a week, practically all industrial and non-industrial employees of the three Mints have been paid at double the time rate calculated on the basis of pay and all allowances including House Rent Allowance with effect from 1-6-1961.

(c) The Silver Refinery Workmen's Union and Calcutta Mint Employees Union were informed that the decision of the Andhra Pradesh High Court will be kept in view and the matter would then be referred to Ministry of Law and Ministry of Labour for advice The matter is under consideration

Committees in Ministry of Finance

4146 SHRI S M SIDDAYYA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) how many Committees formed in his Ministry were functioning from 1st January, 1971 till 1st August, 1974;

(b) the Chairman and members of each Committee and the date of its formation, and

(c) whether the Committees have submitted their reports and whether they will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K R GANESH): (a) to (c) A statement giving the information is laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT-8363/74]

---

12 hrs.

RE MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का मामला दिया है। मुझे आप एक मिनट मेहरबानी कर के अपनी बात कहने दीजिए। इस राजधानी मे स्मगलर्स आए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय आप जरा ठहरिए। एक एडजर्नमेंट मोशन बाजपेयी जी ने दिया है। उन का पहले हो जाने दीजिए।

बाजपेयी जी, यह आप ने मोशन दिया है एडजर्नमैंट का

1 Government's failure ... police repression . beating of pressmen by the policemen in front of the residence of the Adviser to the Governor.

2 Assault of the press photographer in Surat by the smugglers in the presence of policemen

3 Arrest of cloth merchant in Ahmedabad on framed charges for teasing the daughter of the police officer.

इस तरह से यह है। मैं आप से कहूं एडजर्नमेंट तो यह बनता नहीं है यह मल्टिप्लिसिटी आफ फैक्ट्स और नार्मल कोर्स आफ ला एंड आर्डर की बात है। यहां तक यह पहला है—बीटिंग आफ दि प्रैस मैन इस के बारे मे आप चाहे तो मैं होम मिनिस्टर का यह कह सकता हूं कि इस के ऊपर एक स्टेटमेंट दे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): अध्यक्ष महोदय अगर आप एक मिनट मुझे दें तो मैं निवेदन ... कि गुजरात में इन दिनों राष्ट्रपति शासन है केन्द्र सरकार कानून और व्यवस्था के लिये भी जिम्मेदार है।

दूसरी बात यह है कि यह मामला प्रैस की स्वाधीनता से सम्बन्धित है सरकार प्रैस कानून का जब बिल आता है तो प्रैस की स्वाधीनता के बारे मे बहुत लम्बी चौड़ी बातें करती है, लेकिन प्रैस वालों की वहां पिटाई हो रही है उन के ऊपर झूठे मुकदमे चलाये जा रहे है। इस मामले को यहां उठाने की आप इजाजत नही देंगे तो बात कैसे बनेगी?

अध्यक्ष महोदय: मैं ने इस को देखा । इस बारे को मैं कैसे इकट्ठा करूं ? एक में उन की स्मग्लर्स ने पिटाई की, इस का मामला है, दूसरे में पुलिस आफिसर की लड़की का मामला है। ये सब इकट्ठा कैसे हो सकता है ? तो यह तो बनता नहीं है। लेकिन वह वीटिंग आफ दि प्रैस मैन जो है उस के लिए मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि उस के ऊपर एक एक स्टेटमेंट वह दें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं अपने आप को पहली घटना तक ही सीमित रख रहा हूं। 8-9 अगस्त की रात को अहमदाबाद में टाइम्स आफ इंडिया के एक संवादाता को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइये कि पुलिस की फेल्योर कहां है जब पुलिस वाले की लड़की को छेड़ने का मामला है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह छोड़ दीजिये। मैं पहले मामले को ले रहा हूं।

8 तारीख को क्या हुआ यह बड़ी गंभीर बात है। टाइम्स आफ इंडिया के एक कॉरेस्पांडेंट है जो नव निर्माण समिति के आन्दोलनों के दिनों में पुलिस के खिलाफ लिखते थे जिन्होंने बम्बई के अखबारों में भी पुलिस की व्यवस्था के खिलाफ लेख लिखे। पुलिस वाले उन से नाराज़ थे और उन को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उस में भी एक लड़की को बीच में लाने की कोशिश की गई। जब प्रेस वाले दूसरे थाने में गए कि हम दूसरी रिपोर्ट लिखाएंगे तो पुलिस अफसर ने रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया। उसी रात के 3 बजे वे गवर्नर के एडवाइज़र के घर पर गये और एडवाइज़र से मिलने की मांग की। मुलाकात नहीं हुई। एडवाइज़र के सैक्रेटरी भी नहीं मिले और पुलिस ने वहां 25 प्रैस वालों को पीटा। जन्मभूमि के जो संवादाता है श्री रवीन्द्र भट्ट उन को बहुत चोटें आई और वे अस्पताल में भर्ती हुये। अब गुजरात के अखबार वाले यह मांग कर रहे हैं कि सारे मामले की एक अदालती जांच होनी चहिये। लेकिन अदालतो जांच की इजाजत नही दी गई और पुलिस वाले बदले निकाल रहे हैं गिन-गिन कर प्रैस वालों से। यह मामला सदन में भी कई बार उठाया जा चुका है लेकिन गृह मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में होम मिनिस्टर से कहूंगा कि एक बयान दें।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : मैं इस पक्ष में हूं कि केवल वक्तव्य इस संबंध में सदन के सामने आना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम लोगों को भी उस में कुछ कहना होगा तब ? . . . (**व्यवधान**)

12.06 hrs.

RE. PRESENCE OF SMUGGLERS IN DELHI

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आप का तो प्रिविलेज नहीं बनता है।

श्री मधु लिमये (बांका) : आप मुझे अर्ज़ करने दीजिए। आप को अगर स्वीकार न हो तो वह बात अलग है। मैं कभी आप से असहमति व्यक्त नही करता हूं।

मुझे जानकारी मिली है कि श्री गणेश के पत्र द्वारा स्मग्लरों के नाम लेने के बाद—सरकार के द्वारा, हम लोग लेते तो बात दूसरी थी—ये स्मग्लर या तो भाग गए या कुछ यहां पर आए हैं। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। वे मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट को अप्रोच कर रहे हैं।. . . (**व्यवधान**)

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : ये मेम्बरों के नाम बताएं कि किन किन मेम्बरों से मिल रहे हैं ? इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। सारे सदस्यों को ये इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते . . . (**व्यवधान**) .